रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 537] नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 29, 1989/भाद्र 7, 1911
No. 537] NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 29, 1989/BHADRA 7, 1911

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

जल भूतल परिवहन मंत्रालय

(नौवहन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 अगस्त, 1989

का. आ० 678(अ).—कलकत्ता उच्च न्यायालय ने अपने तारीख 7 जून 1988 के आदेश द्वारा यह निदेश दिया है कि एक नाविक श्री जानी बाबू और पोत के मालिक मैसर्स रत्नाकर शिपिंग कम्पनी लिमिटेड, जिसमें उक्त नाविक नियोजित है, के बीच विवाद के न्यायनिर्णयन के लिए वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम 1958 (1958 का 44) की धारा 150 की उप धारा (1) के अधीन एक अधिकरण गठित किया जाए,

और केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि उक्त विवाद उक्त नाविक के नियोजन के मामलों से संबंधित है या इससे आनुषंगिक है,

अतः अब केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 150 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त विवाद के न्याय निर्णयन के लिए एक अधिकरण गठित करती है जिसका मुख्यालय कलकत्ता में होगा और भारत सरकार के भूतपूर्व मुख्य सर्वेक्षक, श्री एन चक्रवर्ती को, उक्त अधिकरण में नियुक्त करती है और अधिकरण का अधिनिर्णय केन्द्रीय सरकार को यथासंभव शीघ्र किन्तु किसी भी दशा में इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष की अवधि के अवसान के पश्चात नहीं प्रस्तुत करेगा।

[फा. सं. सी. 18018/1/89 एम टी]

एस. एन. कक्कड़, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

(Shipping Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th August, 1989

S.O. 678 (E).—Whereas, the High Court of Calcutta by its order dated the 7th June, 1988 has directed that a tribunal may be constituted under sub-section (1) of section 150 of the Merchant Shipping Act, 1958 (44 of 1958) for adjudication of the dispute between Shri Jani Babu, a seaman and M/s. Ratnakar Shipping Company Limited, owner of the ship in which the said seaman is employed;

And whereas the Central Government is of the opinion that the said dispute relates to matters connected with or incidental to the employment of the said seaman;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section 1 of section 150 of the said Act, the Central Government hereby constitutes a tribunal with headquarters at Calcutta, for the adjudication of the said dispute and appoints Shri N. Chakraborty, Ex-Chief Surveyor to the Government of India to the said tribunal, who shall submit the award of the tribunal to the Central Government as expeditiously as possible but in any case not later than expiry of a period of one year from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

[File No. C. 18018/1/89-MT]

S. N. KAKAR, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1989